कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको./ लखनऊः दिनांक 17/10/ 2016

–:: आदेश ::–

विस्तार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

1– पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि डा0 मुश्ताक हुसैन, अधीन प्रमुख अधीक्षक एम0एल0एन0 जिला चिकित्सालय, (हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी) इलाहाबाद एवं डा0 अमिताभ बासू, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी) इलाहाबाद के स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था, स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किया जाये।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/ जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 अजय कुमार श्रीवास्तव–5213	स्व0 जगदम्बा प्रसार श्रीवास्तव	02.08.1955	31.08.2015	एम0एस0 आर्थो सर्जरी	डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ
2.	डा0 राजेन्द्र सिंह–5011	स्व0 कुंजि बिहारी सिंह	08.07.1954	31.07.2014	डी0एम0आर0डी0 (रेडियोलाजी)	जिला चिकित्सालय, झांसी
3.	डा0 रक्षपाल सिंह–6629	स्व0 कपूर सिंह	15.07.1955	31.07.2015	एम0डी0 मेडिसिन	जिला चिकित्सालय, ललितपुर
4.	डा0 गुनमाला जैन–5659	डा0 आर0पी0 जिन्दल	22.07.1954	31.07.2014	डी0जी0ओ0	जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद
5.	डा0 विष्णु शरण अग्निहोत्री–4601	श्री बाबूराम अग्निहोत्री	01.02.1955	31.01.2015	डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय इटावा
6.	डा0 राजीव कुमार रोहतगी–6725	श्री विनय कृष्ण रोहतगी	05.07.1955	31.07.2015	डी0सी0एच0	जिला महिला चिकित्सालय बदायूं
7.	डा0 प्रदीप पाण्डेय–6932	स्व0 रमेश पाण्डेय	26.07.1955	31.07.2015	डी0ए0	जिला चिकित्सालय, झांसी
8.	डा0 राम नाथ–8739	स्व0 बदलू राम	20.04.1954	30.04.2014	डी0सी0पी0	जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी
9.	डा0 उमेश चन्द्र–5631	श्री मथुरा प्रसाद	04.03.1952	31.03.2012	डी0ओ0एम0एस0	संयुक्त जिला चिकित्सालय पु0 कानपुर देहात
10.	डा0 राम प्यारे प्रसाद–5560	स्व0 भागीरथी	07.01.1954	31.01.2014	डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर
11.	डा0 गनेशी लाल अग्रवाल–5258	श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल	06.08.1954	31.08.2014	डी0सी0एच0	लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर रोड, लखनऊ